

केन्द्रीय चयन पर्यद (सिपाही भर्ती)

श्री साईं तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

पटना-801503

(वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में 'सिपाही' तथा बिहार अग्निशमन सेवा (Bihar Fire Service) में 'अग्निक' (Fireman) (सिपाही की कोटि) के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि- 30/06/2018

विज्ञापन संख्या-02/2018

बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में 'सिपाही' पद (वेतनमान ₹ 5200-20200 (PB-1) + ग्रेड पे- ₹ 2000 छठा वेतन आयोग के अनुसार) में रिक्तियों की संख्या 9900 (नौ हजार नौ सौ मात्र) है तथा समान वेतनमान में बिहार अग्निशमन सेवा (Bihar Fire Service) में 'अग्निक' (Fireman) (सिपाही की कोटि) में रिक्तियों की संख्या 1965 (एक हजार नौ सौ पैसठ मात्र) है।

2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2018 यहाँ जारी किया जा रहा है। संयुक्त रूप से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक- 28/05/2018 से प्रारंभ होगी।

3. बिहार पुलिस की इकाईयों (यथा-बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, आदि) में 'सिपाही' पद तथा बिहार अग्निशमन सेवा में 'अग्निक' का पद बिहार पुलिस के सिपाही की कोटि का है, अतः (i) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-3049, दिनांक-10.04.2018, (ii) पुलिस मुख्यालय की अधियाचना, पत्रांक-273/363561/पी-3 दिनांक-05.04.2018 एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-6/एफ0-23/2005 गृ0आ0-2382, दिनांक- 21 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त अधियाचना, (iii) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-6/अग्नि0से0-01- 03/2015 गृ0आ0-2543, दिनांक- 27 मार्च, 2017, (iv) राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-4425, दिनांक-20.12.2017, (v) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-गृ0आ0-2170, दिनांक 10 मार्च, 2017, तथा (vi) अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-गृ0आ0-5010, दिनांक-16.06.2017, तथा (vii)

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 एवं संकल्प ज्ञापांक-13185, दिनांक-03.09.2015, (viii) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008/गृ0आ0-4573, दिनांक-13.06.2013 एवं (ix) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-4/ब2-105/2001-गृ0आ0-1444, दिनांक 06 फरवरी, 2004 / अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-गृ0आ0-6843, दिनांक-11/08/2008 / अधिसूचना संख्या-4/ब1-102/2008-गृ0आ0-377, दिनांक-06 जनवरी, 2012 / अधिसूचना ज्ञाप संख्या -4/पी0-3-10-03/2013-गृ0आ0-4111, दिनांक 28 मई, 2013 में विहित/वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी । बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा चयन का मापदण्ड/मानदण्ड आदि 'बिहार पुलिस के सिपाही' एवं 'बिहार अग्निशमन सेवा में 'अग्निकों' की नियुक्ति पर भी लागू होगा ।

4. अतएव उपरोक्त प्रावधान / विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्वद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पर्वद के वेबसाइट (Website) www.csbc.bih.nic.in पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे ।

5. समर्पित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (लिखित परीक्षा) आयोजित की जायेगी । चूंकि यह एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा/चयन प्रक्रिया है, अतः “संयुक्त परीक्षा की स्थिति में अवधारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदों के चयन हेतु अपनी प्राथमिकता बताना अनिवार्य होगा”। जिला पुलिस/बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य पुलिस इकाईयों (यथा-विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, आदि) में सिपाही तथा अग्निशमन सेवा में अग्निकों की रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से एक साथ आयोजित की जायेगी ।

6. सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक योग्यता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जाँच-माप परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।

7. लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी । सिपाही/अग्निकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीन स्पर्धाओं यथा- दौड़, गोला फेंक एवं ऊँची कूद में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्वद द्वारा जिला पुलिस/बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य पुलिस इकाईयों के नियुक्ति प्राधिकार “पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/विभागाध्यक्ष” एवं बिहार अग्निशमन सेवा के नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी ।

8. सिपाही/अग्निक के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :-

8.1 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- दिनांक 01/01/2018 को इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता ।

8.2 अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक-01.01.2018 को “दसवीं-बोर्ड” के प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :-

- (1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष ।
- (3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अठ्ठाईस) वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।
- (5) गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सभी कोटि/आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों (बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित) को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में पाँच (05) वर्ष की छूट दी जायेगी ।

8.3 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड -

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।
- (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्गों के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-I (गोरखा बटालियन) में - न्यूनतम 158 सेन्टीमीटर ।
- (5) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए-

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| बिना फुलाए | - | 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) |
| फुलाकर | - | 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) |

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति वर्गों के पुरुषों के लिए -

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| बिना फुलाए | - | 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) |
| फुलाकर | - | 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) |

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बि०सै०पु०-I (गोरखा बटालियन) में -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

9. नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा' - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी ।

(ii) प्रश्न-पत्र - दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक देय होगा । प्रश्न-पत्र में 50 प्रश्न हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा । शेष 50 प्रश्नों को, 25-25 प्रश्नों के दो भाग में विभाजित किया गया है जिसमें अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों (यथा -गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र) में से किन्ही दो विषयों का चुनाव करना होगा, तथा दोनों चयनित विषयों के "विषय कोड" को ओ०एम०आर (OMR) / उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हुए उनसे संबंधित 25-25 प्रश्नों को हल करना होगा ।

(iii) ओ०एम०आर (OMR):- लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ०एम०आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे । उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, इसके लिए पर्यद जिम्मेवार नहीं होगा ।

(iv) पाठ्यक्रम - लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्यद की वेबसाइट पर Syllabus शीर्ष के अन्दर Syllabus for Adv. 02/2018 टैब पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

(vi) सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेगा, वह निरर्हित (Disqualify) घोषित किया जायेगा तथा उसे शारीरिक योग्यता परीक्षा में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

(vi) "लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।"

(vii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के पाँच गुणा अनुपात में प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता परीक्षा

हेतु किया जायेगा । परन्तु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में पर्षद उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम कर सकेगा ।

(viii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

(ख) द्वितीय चरण - 'शारीरिक योग्यता परीक्षा' - शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी ।

(i) दौड़ - 50 (पचास) अंक ।

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>सभी कोटि के पुरुषों के लिए</u> - 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) [अधिकतम 6 मिनट में] | |
| 5 मिनट तक - | 50 अंक |
| 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - | 40 अंक |
| 5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - | 30 अंक |
| 5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - | 20 अंक |
| 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा । | |

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 (एक) कि०मी० [अधिकतम 6 मिनट में]

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 मिनट तक - | 50 अंक |
| 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - | 40 अंक |
| 5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - | 30 अंक |
| 5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - | 20 अंक |
| 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा । | |

(ii) गोला फेंक - अधिकतम 25 (पच्चीस अंक) ।

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पौंड का गोला

न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

| | |
|----------------------------------|--------|
| 16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक - | 09 अंक |
| 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक - | 13 अंक |
| 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक - | 17 अंक |
| 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक - | 21 अंक |
| 20 फीट से ज्यादा - | 25 अंक |

16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला

न्यूनतम 10 (दस) फीट फेंकना होगा ।

| | |
|----------------------------------|--------|
| 10 फीट से ज्यादा एवं 11 फीट तक - | 09 अंक |
| 11 फीट से ज्यादा एवं 12 फीट तक - | 13 अंक |
| 12 फीट से ज्यादा एवं 13 फीट तक - | 17 अंक |
| 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक - | 21 अंक |
| 14 फीट से ज्यादा - | 25 अंक |

10 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

(iii) **ऊँची कूद - अधिकतम 25 (पच्चीस अंक) ।**

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| सभी कोटि के पुरुषों के लिए | - न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट |
| 04 फीट से ज्यादा एवं 4 फीट 4 इंच तक | - 13 अंक |
| 04 फीट 4 इंच से ज्यादा एवं 4 फीट 8 इंच तक | - 17 अंक |
| 04 फीट 8 इंच से ज्यादा एवं 5 फीट तक | - 21 अंक |
| 05 फीट से ज्यादा | - 25 अंक |

04 फीट ऊँचाई न कूद पाने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| 03 फीट से ज्यादा एवं 3 फीट 4 इंच तक | - 13 अंक |
| 03 फीट 4 इंच से ज्यादा एवं 03 फीट 8 इंच तक | - 17 अंक |
| 03 फीट 8 इंच से ज्यादा एवं 04 फीट तक | - 21 अंक |
| 04 फीट से ज्यादा | - 25 अंक |

03 फीट ऊँचाई न कूद पाने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, गोला फेंक एवं ऊँची कूद स्पर्धा / स्पर्धाओं, प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

10. मेधा सूची-

(i) बिहार पुलिस में सिपाही एवं बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निंक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा- दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी / शारीरिक योग्यता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।

(ii) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सेवा/पदों का आवंटन उनके द्वारा आवेदन-पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा ।

11. रिक्ति :- बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 'सामान्य सिपाही' के रिक्त पदों की संख्या 9900 (नौ हजार नौ सौ) तथा बिहार अग्निशमन सेवा में 'अग्निंक' (Fireman) (सिपाही की कोटि) हेतु रिक्त पदों की संख्या 1965 (एक हजार नौ सौ पैंसठ) है ।

| क्र०सं० | कोटि | सामान्य सिपाही | अग्निक |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | पदों की संख्या | |
| 01 | सामान्य वर्ग (अनारक्षित) | 4950 | 987 |
| 02 | अनुसूचित जाति | 1584 | 314 |
| 03 | अनुसूचित जनजाति | 99 | 19 |
| 04 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 1782 | 359 |
| 05 | पिछड़ा वर्ग | 1188 | 225 |
| 06 | पिछड़े वर्गों की महिला | 297 | 61 |
| योग- | | 9900 | 1965 |
| कुल | | 11,865 | |

- ❖ बिहार पुलिस में जिला / इकाईवार सिपाही की रिक्तियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है ।

12. आरक्षण :-

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।
- (ii) गृह रक्षकों के लिए प्रावधान:-
गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक-06.02.2004 एवं गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511 दिनांक-07.02.2004 में विहित निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ बिहार के प्रशिक्षित (दिनांक 01.01.2018 के पूर्व) गृह रक्षकों के लिए आरक्षित हैं ।
गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।
योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे की शेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।
- (iii) महिलाओं के लिए प्रावधान:-
आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं ।

इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे । यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा । योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा । बिहार अधिनयम 3, 1992 की धारा-4(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(iv) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए प्रावधान :-**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(v) **बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान :-**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16011/2010-PF IV, दिनांक-16 सितम्बर, 2011 के आलोक में सिर्फ विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी में कुल रिक्त पदों के 30 प्रतिशत पदों पर बिहार राज्य के वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा । पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 372/370513/पी03 दिनांक-21.05.2018 के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ग' के अनुसार वामपंथी हिंसा प्रभावित जिले यथा - अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेतिया (पुलिस जिला बगहा सहित), गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली हैं ।

(vi) अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुसार उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी । अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्या स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

13. कट ऑफ तिथि :- यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट-ऑफ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित की जाती है ।

14. अभ्यर्थी का सत्यापन:- बिहार पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी / बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी / अग्निशमन सेवा / पुलिस की अन्य इकाईयों के नियुक्ति पदाधिकारी चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों के नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भाँति जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे ।

15. चिकित्सकीय परीक्षण :- नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा । आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट,

प्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

16. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :- सिपाही एवं अग्निक के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक-28/05/2018 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

17. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 450/- (चार सौ पचास) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 112/- (एक सौ बारह) रुपये है ।

18. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्सद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रान्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे ।

19. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

(i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्सद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 'Bihar Police / Bihar Fire Services' के Tab या Advts by Group में जाकर Adv. No. 02/2018 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) को अँग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान यथा आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) पर साझा की जाएंगी ।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आईडी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। पर्षद गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी0 के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

(v) अभ्यर्थी को मात्र आवेदन-पत्र के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए । किसी भी मामले में भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी । अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाती है ।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा । यही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर भी भेजा जायेगा ।

(vii) ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा :-

(क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भाग-I में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी से संबंधित राज्य के निवासी, श्रेणी/कोटि, लिंग, पदों की प्राथमिकता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0 एवं जन्म तिथि आदि की जानकारी ली जाती है तथा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail पर भेजा जाएगा ।

(ख) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भाग-II ऑनलाइन आवेदन-पत्र भाग-I में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन-पत्र भाग II में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ एवं शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी । तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ (रंगीन एवं एक माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 20 से 50 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 230px height) का), एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में अलग-अलग, 10 से 20 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 60px height) का, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक SMS/E-mail प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी । अभ्यर्थी अब अपना भरा हुआ आवेदन-पत्र A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे ।

(iii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(ix) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(x) अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(xi) आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।

(xii) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- <http://gad.bih.nic.in/> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

20. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

(ii) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को सुधारने की प्रक्रिया :-

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उनके आवेदन-पत्र में गलत प्रविष्टि हो गयी है तो भुगतान की प्रक्रिया के पूर्व अभ्यर्थी एक बार अपने आवेदन-पत्र के भाग-II में सुधार कर सकते हैं।

(iii) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया :-

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो अभ्यर्थी अपने पुराने आवेदन पत्र को रद्द कर पुनः फीस जमा कर, नया आवेदन-पत्र भर सकते हैं। यह सुधार मात्र एक बार ही किया जा सकता है।

21. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-30/06/2018 निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन-पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

22. उम्मीदवारी रद्दीकरण - आवेदक की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों के पाये जाने पर बिना सूचना दिये रद्द की जा सकती है :

- (i) आवेदन पत्र का भाग-I भरा जाना परन्तु भाग-II को भर कर upload न करना ।
- (ii) आवेदन का फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना ।
- (iii) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना ।
- (iv) आवेदक द्वारा आवेदन में गलत सूचना दिया जाना ।
- (v) आवेदक द्वारा गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना ।
- (vi) आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना ।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना ।
- (viii) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण न करना अथवा विनिर्दिष्ट तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त न होना, भारत का नागरिक न होना आदि ।
- (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना ।
- (x) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे -
(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम से प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से ।
(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को एक आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि ।
- (xi) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना ।
- (xii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना । इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं ।
- (xiii) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना ।
- (xiv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए ।

23. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों की जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर परीक्षा/चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र

ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है । अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें ।

24. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे । किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार के अनुरोध मान्य नहीं होंगे ।

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

ज्ञापांक-11/के0च0प0(सू0)

दिनांक-25/05/2018

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

श्री साईं तारा कॉम्प्लेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 801503

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
3. महानिदेशक-सह-महासमादेश्य, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

अनुलग्नक 'क'

| क्रम सं० | जिला / इकाई / वाहिनी का नाम | रिक्ति | क्रम सं० | जिला / इकाई / वाहिनी का नाम | रिक्ति |
|----------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 1. | पटना | 1025 | 33. | बांका | 62 |
| 2. | नलंदा | 308 | 34. | नवगछिया | 34 |
| 3. | बक्सर | 159 | 35. | खगड़िया | 90 |
| 4. | भोजपुर | 204 | 36. | मुंगेर | 143 |
| 5. | रोहतास | 328 | 37. | बेगूसराय | 216 |
| 6. | कैमूर | 121 | 38. | शेखपुरा | 59 |
| 7. | गया | 548 | 39. | लखीसराय | 60 |
| 8. | औरंगाबाद | 187 | 40. | जमुई | 19 |
| 9. | नवादा | 172 | 41. | रेल पटना | 127 |
| 10. | जहानाबाद | 96 | 42. | रेल जमालपुर | 78 |
| 11. | अरवल | 58 | 43. | रेल मुजफ्फरपुर | 120 |
| 12. | मुजफ्फरपुर | 222 | 44. | रेल कटिहार | 63 |
| 13. | वैशाली | 234 | 45. | बिहार सैन्य पुलिस 01, पटना | 51 |
| 14. | शिवहर | 74 | 46. | बिहार सैन्य पुलिस 02, डेहरी | 44 |
| 15. | सीतामढ़ी | 140 | 47. | बिहार सैन्य पुलिस 03, बोधगया | 77 |
| 16. | बेतिया | 211 | 48. | बिहार सैन्य पुलिस 04, डुमराँव | 114 |
| 17. | बगहा | 176 | 49. | बिहार सैन्य पुलिस 05, पटना | 122 |
| 18. | मोतिहारी | 454 | 50. | बिहार सैन्य पुलिस 06, मुजफ्फरपुर | 88 |
| 19. | सारण | 191 | 51. | बिहार सैन्य पुलिस 07, कटिहार | 136 |
| 20. | सिवान | 122 | 52. | बिहार सैन्य पुलिस 08, बेगूसराय | 248 |
| 21. | गोपालगंज | 38 | 53. | बिहार सैन्य पुलिस 09, जमालपुर | 179 |
| 22. | दरभंगा | 204 | 54. | बिहार सैन्य पुलिस 10, पटना | 157 |
| 23. | मधुबनी | 181 | 55. | बिहार सैन्य पुलिस 11, जमुई | 88 |
| 24. | समस्तीपुर | 193 | 56. | बिहार सैन्य पुलिस 12, सहरसा | 115 |
| 25. | सहरसा | 65 | 57. | बिहार सैन्य पुलिस 13, दरभंगा | 75 |
| 26. | सुपौल | 86 | 58. | बिहार सैन्य पुलिस 14, पटना | 46 |
| 27. | मधेपुर | 16 | 59. | बिहार सैन्य पुलिस 15, बगहा | 79 |
| 28. | पूर्णियाँ | 119 | 60. | एम०एम०पी०, आरा | 01 |
| 29. | किशनगंज | 103 | 61. | महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम | 03 |
| 30. | कटिहार | 143 | 62. | बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी | 400 |
| 31. | अररिया | 115 | 63. | विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व वाहिनी | 271 |
| 32. | भागलपुर | 242 | | कुल | 9900 |

